

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002302016

दांडिक प्रकरण क.-383 / 2016

संस्थापित दिनांक-22.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-महेश पुत्र नारायणदास कोली आयु 30 वर्ष 02-नरेश उर्फ नन्नू पुत्र नारायणदास कोली आयु 21 वर्ष निवासीगण मातामंदिर के पास प्राणपुर, चंदेरी	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री आर.एस. यादव अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.01.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294,323 एवं 506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी हरगोविंद ने दिनांक 20.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 20.06.16 को 06:30 बजे गचउ बाउडी के पास प्राणपुरा में आरोपीगण ने आकर उसका रास्ता रोका तथा अश्लील गालियां दी फरियादी द्वारा मना करने पर आरोपीगण ने उसे पकड़कर पटक दिया तथा सिर जमीन में मारा जिससे उसे खून निकलने लगा तथा आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341,294,323,506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341/34, 294,323/34 दो बार एवं 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.06.16 को समय 18:30 बजे गचउ बाबडी के पास प्राणपुर चंदेरी पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हरगोविंद का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी हरगोविंदसिंह को मां वहिन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी हरगोविंद एवं आहत संगीता को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ

मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति

4. कारित की ?

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी हरगोविंद को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हरगोविंद, अ.सा.2 संगीताबाई, अ.सा.3 बाबूलाल, अ.सा.4 केशव, अ.सा.5 आर एस पाल, अ.सा.6 डॉ राघवेन्द्र, अ.सा.7 रामविनायकसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 हरगोविंद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 20.06.16 को शाम 06:30 बजे वह गचड वाउडी से सब्जी लेकर आ रहा था तब आरोपी ने उससे सौ रुपये शराव पीने मांगे तथा आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलोच की। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी महेश ने उसका सिर पकड़कर जमीन में मार दिया था तथा आरोपी नन्नू ने लाठी से मारा था जिससे वह बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी01 की देहाती नालसी के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी01 के पर उससे कहां पर हस्ताक्षर कराये थे उसे याद नहीं है। अ.सा.1 के अनुसार वह घटना स्थल पर बेहोश हो गया था तथा उसे अस्पताल में होश आया था। अ.सा.2 संगीताबाई जो कि अ.सा.1 की पत्नी है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति सब्जी लेने बस स्टैन्ड गये थे तथा जब वे लौटकर आ रहे थे तब आरोपीगण ने गाली गलोच की तथा उठाकर पटक दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे चिल्लाने

की आवाज आइ तो वह बाहर गई थी तथा उसने मारपीट करने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की। अ.सा.2 के अनुसार उसके पति मौके पर बेहोश हो गये थे।

08— अ.सा.2 के अनुसार मौके पर एम्बूलेस आई थी जो उसके पति को लेकर गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने मारपीट करते नहीं देखा। अ.सा.3 बाबूलाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी को गाली गलोच दी थी तथा उसे मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने फरियादी को लाठी से मारा था तथा एम्बूलेंस आई थी जो फरियादी को ले गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने ही झगडा हो रहा था तथा महेश ने हरगोविंद से शराब के लिए पैसे मांगे थे।

09— अ.सा.4 केशव ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थी। अ.सा.6 डॉ राघवेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 20.06.16 को को आहत हरगोविंद का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी06 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्र.0पी06 की रिपोर्ट को प्रमाणित करते हुए उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आहत हरगोविंद के शरीर पर दो छोटे पाई गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत संगीता का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी07 है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत को कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। अ.सा.6 द्वारा अपनी साक्ष्य से रिपोर्ट प्र0पी06 एवं 07 को प्रमाणित किया गया है तथा उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत हरगोविंद के सिर एवं गाल पर चोट आई थी।

10— अ.सा.7 रामविनायकसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा

फरियादी के बताये अनुसार प्र0पी01 की देहातीनालसी लेखवद्ध की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार देहातीनालसी के आधार पर प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध की गई थी जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। अ.सा.5 आर एस पाल जो कि मामले के विवेचक है ने अपने कथन मे बताया है कि उनके द्वारा नक्सा मोका प्र0पी03 तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने मामले की झूठी विवेचना की है।

11— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रमाणित होता है कि अ.सा.1 को उक्त घटना दिनांक को चोटे आई थी। अ.सा.1 ने अपने कथन मे स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने रास्ते मे उसे गालियां दी तथा उसके साथ मारपीट की। उक्त तथ्य का अनुसर्मथन अ.सा.2 एवं अ.सा.3 की साक्ष्य से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.3 स्वतंत्र साक्षी है तथा उसके द्वारा अभियोजन की कहानी का पूर्णरूप से संर्मथन किया गया है। अ.सा.1 लगायत अ.सा.3 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने मे असफल रहा है।

12— अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्टरूप से कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसके सिर मे चोट आई थी। उक्त तथ्य की संपुष्टि अ.सा.6 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा.2 ने भी अपने कथन मे बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की थी। अ.सा.2 एवं अ.सा.3 ने अपने कथन मे स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपीगण गाली गलोच कर रहे थे। अ.सा.1 की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने

रास्ते में फरियादी से पैसे की मांग की थी। इस प्रकार यह प्रमाणित हो रहा है कि ६ टना दिनांक को फरियादी को रास्ते में आरोपीगण द्वारा रोका गया तथा उक्त घटना कारित की गई। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 एवं अ.सा.2 ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। अ.सा.2 जो कि ६ टना की चक्षुदर्शी साक्षी ने भी अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी।

13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी का रास्ता रोककर गाली गलोच की गई तथा मारपीट कर उपहति कारित की गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त ६ टना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया गया है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपीगण को भादवि की धारा 341/34, 294 एवं 323/34 दो बार के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

14— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

15— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर एस यादव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा एक आहत महिला है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

16— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द. वि. की धारा 294 के अपराध में 200—200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 341/34 के अपराध में 300—300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323/34 दो बार के अपराध में एक—एक माह इस प्रकार कुल दो माह के साधारण कारावास एवं 200—200 रुपये इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को 400/—रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और

अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

17— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

19— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)